दोला 84,53,188 पृ-1-041 रिपोर्ट

1.5.18 प्रकरण उपखण्ड अधिकारी/ लोक अदालत [illegible] पत्रावली दिनांक 15-5-18 को पेश होवे।

15/5/18 आज P.O. मा० डेप्यु ड्यूटी में व्यस्त होने से जनरल ता. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 24/7/18 को पेश हो।

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2013

8-6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मंडी [illegible] में पेश हुई। पत्रावली में पक्ष मालिक वादीगण शामिल कैम्प में उपस्थित नहीं हुये/ पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी कल्याण ने अपनी भूमि का बेचान दिनांक 13-12-2006 को किया गया है। विक्रय-पत्र- प्रतिवादी पांचों के [illegible] के रूप में अंकित है। विक्रय-पत्र दिनांक 13-12-2006 को किया गया है तथा वादी द्वारा दिनांक 28-5-13 को लगभग 6½ वर्ष पश्चात् वाद पेश किया गया है। उक्त वाद में तनकीयात कायम हो चुकी है। वाद का निर्णय तनकीयात किया जाना न्यायोचित है।-

(i) तनकीह नं. 1 ! - आया वादी के ग्राम [illegible] दौसा के खाता संख्या 2067 से 2070 में वाद के चार्ज नं. 1 में अंकित भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 17.12 हे० एवं खाता संख्या 75 के ख.नं. 81, 88, 123 व 131 कुल किता-4 कुल रकबा 0.18 हे० में कल्याण के हिस्सा 5/12 में से 1/6 का खातेदार

सहायक कलेक्टर
दौसा

हुक्म	न्याय आपके द्वार 2017 ... कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	... हुक्म की ता... मे जारी

को रद्द करार घोषित करवाने की मांगी गयी है - वादग्रस्त

भूमि वादियां की पैतृक भूमि होना पाया जाता है, परन्तु वादिया ने तथा वादियां के बेटा कल्याण ने अपनी भूमि वादिया की सहमति से प्रतिवादी सं. 2 छोटादेवी प. महेन्द्रसिंह गुर्जर को विक्रय किया जाना पाया जाता है। विक्रय पत्र में वादियां नहनी की अंगूठा निशानी सहमतिस्वरूप के रूप में अंकित होने से यह तनकी वादियां के खिलाफ प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. तनकी नं. 2 :- आया वाद में उक्त वादग्रस्त भूमि में वादिया के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण दखलंदाजी नहीं करने, भूमि से बेदखल नहीं करने एवं उक्त भूमि को बेचान तबादला रहन बय व हस्तान्तरण नहीं करने हेतु वादिया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराने की हकदार है।

वादग्रस्त भूमि का खातेदारी अधिकार प्रतिवादीगण 2 एवं 3 में हो जाने से उनको स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है। वादिया एवं प्रतिवादी कल्याण के द्वारा अपने हिस्से की समस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 को कर दिये जाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में वादियां का कोई हक व अधिकार शेष नहीं होने से यह तनकी भी प्रतिवादी नं. 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. तनकी नं. 3 :- आया वाद में उक्त वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 12-12-2016 वादिनी के हक

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा

सहायक कलेक्टर
दौसा

हो जाने की नीलामी तक विखण्डित नहीं हो जाता है
तब तक इस वाद-पत्र के जरिये किसी भी प्रकार का
अनुतोष वादिया प्राप्त करने की हकदार नहीं है।-

उक्त वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र सक्षम न्यायालय से प्रभावशून्य। विखण्डित नहीं हो जाता है तब तक वादिया को इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः यह तनकी भी वादिया के विरुद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. तनकी नं-4:- आया वाद में उक्त वादग्रस्त भूमि के वाद को इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं होने से वादिया का वाद खारिज योग्य है?-

उक्त वाद में जब तक रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र प्रभावशून्य, सक्षम सिविल न्यायालय से नहीं हो तब तक यह वाद चलने योग्य नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र को निरस्तीकरण करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से इस वाद में वादिया को किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से यह तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5. तनकी नं.5:- आया वाद में उक्त वादग्रस्त भूमि का वादिया के पक्ष उक्त रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र को निरस्त करने का वाद सिविल न्यायालय में होने से यह वाद इस न्यायालय में चलने योग्य

राजस्व
न्याय आपके द्वार 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं होने से खारिज योग्य है। - उक्त वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित विक्रय पत्र को निरस्त करने का वाद वादियां को सिविल न्यायालय में संस्थित होने के कारण यह वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने के कारण यह विवाद्यक भी वादिया के विरुद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।	
	6. अनुतोष ? ! - वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र वादियां के पिता मगना के द्वारा वादियां की उपस्थिति में, वादियां की सहमति से विक्रय-पत्र उप पंजीयक दौसा में दर्ज किया गया है। इसलिए वादियां का वाद चलने योग्य नहीं है तथा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार एवं सक्षमाधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से वादियां का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसलशुदा हो कर नकल से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोईचौपाड़ा के मजमे आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर दौसा	

कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलेक्टर दौसा जिला दौसा